कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CE)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट ,नई दिल्ली110 002
INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI – 110 002

सत्यमेव जयते

बिल अनुभाग

संख्या: बिल/आयकर/2023-24/60 दिनांक:17/05/2023

विषय: अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा उनके आयकर स्वतः निर्धारण फॉर्म 12-BB प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में |

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली के समस्त अधिकारियो /कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष **2023-24** के आयकर स्वतः निर्धारण फॉर्म **12-BB** भरकर अनुभाग में दिनांक **05/06/2023** तक सभी आवश्यक दस्तावेज/फोटोप्रति के साथ प्रस्तुत करें |

यह फॉर्म कार्यालय की वेबसाइट- https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/en/pages/single/7661 **पर भी उपलब्ध है |**

वित्त वर्ष 2023-24 में डिफ़ॉल्ट TAX REGIME स्वतः NEW है अत: आयकर निर्धारण फॉर्म **12-BB** भरते समय **TAX REGIME** अवश्य चुने | उपरोक्त फॉर्म निर्धारित समय तक बिल अनुभाग में न प्राप्त होने के सन्दर्भ में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी का आयकर निर्धारण **NEW TAX REGIME** में स्वत: होगा, तथा भविष्य में **TAX REGIME** बदला जाना संभव नहीं होगा | जिन अधिकारीयों/कर्मचारियों को वित्त वर्ष **2023-24** में प्रीमियम भुगतान/निवेश आदि करने है, वे बिल अनुभाग को लिखित में अनुमानित राशी की सूचना उपरोक्त फॉर्म में अवश्य भरें |

फॉर्म **12-BB** दिनांक **05/06/2023** तक प्राप्त न होने पर बिल अनुभाग द्वारा उपलब्ध विवरण के आधार पर नियमानुसार आयकर की गणना करके वेतन से कटौती की जाएगी। आयकर फॉर्म **12-BB** समय से न देने की स्थिति में यदि आयकर अधिक कट जाता है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी की होगी।

लेखा परीक्षा समूहों के मुख्यालय अनुभागो से निवेदन है कि यह सूचना उनके समूह में कार्यरत्त सभी अधिकारीयों/कर्मचारियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें|

17/5/23

आहरण एवं संवितरण अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :-

1) सभी अनुभाग
2) डाटा एनालिटिक्स ग्रुप (वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु)
3) नोटिस बोर्ड